



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 20 राँची, बुधवार 11 भाद्र, 1942 (श०)
2 सितम्बर, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 137-148

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

04 सितम्बर, 2020

संख्या-01 स्था०-75/12-1592 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री सैय्यद जावेद हैदर, अपर सचिव को प्रथम, अपीलीय पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एतद विषयक पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

रंजीत कुमार,
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

28 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या-12/एम₂-140/2012- 3103 -- केन्द्रीय संगठन बी०एस०एफ० से झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त एवं उप-समादेष्टा-सह-एसाल्ट ग्रुप कमाण्डर, झारखण्ड जगुआर, राँची के पद पर पदस्थापित श्री योगेश कुमार शर्मा, उप-समादेष्टा, बी०एस०एफ० की सेवा इनके अनुरोध पर पैतृक संगठन महानिदेशालय, बी०एस०एफ०, भारत सरकार को वापस की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI**NOTIFICATION****THE 27th August, 2020**

No. 123 A: Earned Leave of 16 days for the period from 23.04.2020 to 08.05.2020 suffixing 09.05.2020 & 10.05.2020 being holidays is granted to Sri Sanjay Kumar Dubey, District & Additional Sessions Judge-II, Rajmahal under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)**HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI****NOTIFICATION****THE 27th August, 2020**

No. 124 A: Commuted Leave of 119 days for the period from 13.04.2019 to 09.08.2019 suffixing 10.08.2019 to 12.08.2019 being holidays is granted to Mrs. Neerja Ashri, the then Civil Judge (Sr.Div.) now District & Additional Sessions Judge-IX, Giridih under Rule 234 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION

THE 03rd September, 2020

No. 125 A: Earned Leave of 14 days for the period from 18.11.2019 to 01.12.2019 prefixing 17.11.2019 being Sunday is granted to Ms. Kamala Kumari, Secretary D.L.S.A, Latehar under Rule (s) 227, 228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION

THE 03rd September, 2020

No. 127 A: Sanction is accorded in favour of Sri Srish Dutta Tripathi, District & Additional Sessions Judge-IV, Chatra for encashment of 30 days unutilized earned leave equivalent to one month's leave salary admissible for the block year commencing from 28.05.2016 to 27.05.2018 under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI**NOTIFICATION****THE 03rd September, 2020**

No. 128 A: Sanction is accorded in favour of Sri Md. Taufiqul Hassan, District & Additional Sessions Judge-I-cum-Spl. Judge (ACB), Dumka for encashment of 30 days unutilized earned leave equivalent to one month's leave salary admissible for the block year commencing from 30.05.2018 to 29.05.2020 under Rule (s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)**HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI****NOTIFICATION****THE 26th August, 2020**

No. 120 A: Earned Leave of 04 days for the period from 04.03.2020 to 07.03.2020 suffixing 08.03.2020 to 11.03.2020 being Sunday and holidays is granted to Sri Devendra Kumar Pathak, Principal Judge, Family Court, Dumka under Rule (s) 227, 228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE 26th August, 2020

No. 121 A: Earned Leave of 68 days for the period from 04.11.2019 to 10.01.2020 is granted to Sri Rajendra Bahadur Pal, Presiding Officer, Labour Court, Deoghar under Rule 227 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE 26th August, 2020

No. 122 A: Earned Leave of 17 days for the period from 24.03.2020 to 09.04.2020 suffixing 10.04.2020 to 14.04.2020 being holidays is granted to Sri Tarkeshwar Das, Railway Judicial Magistrate, Sahebganj under Rule 228 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court,

Sd/- Jitendra Prasad Singh
Registrar (Administration)

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI**NOTIFICATION****THE 5th August, 2020**

No. 129 A: Earned Leave of 15 days for the period from 24.01.2020 to 07.02.2020 suffixing 08.02.2020 & 09.02.2020 being holidays is granted to Sri Achhat Srivastava, S.D.J.M- cum- Civil Judge (Jr.Div.), Latehar under Rule 228 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Sd/- Jitendra Prasad Singh,
Registrar (Administration)**HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI****NOTIFICATION****THE 08th August, 2020**

No. 130 A: Earned Leave of 29 days for the period from 23.12.2019 to 20.01.2020 prefixing 22.12.2019 being Sunday is granted to Sri Krishna Kant Mishra, Civil Judge (Sr. Div.)-I-cum- A.C.J.M., Chaibasa under Rule (s) 227, 228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Sd/- Jitendra Prasad Singh,
Registrar (Administration)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

15 सितम्बर, 2020

संख्या:-खण्ड-01स्था0- 133/2013- 1644 /वि०स० -- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय के सभी समितियों की आंतरिक नियमावली का प्रारूप समिति के गठन संबंधी सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1520, दिनांक-19.08.2020 को अधिसूचना के रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है ।

- 1- श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव संयोजक
- 2- श्री कुन्दन कुमार सिंह, उप सचिव सदस्य
- 3- श्री सरोज कुमार, अवर सचिव सदस्य

यह समिति झारखण्ड विधान सभा के सभी समितियों की आंतरिक नियमावली का प्रारूप समितियों का सहयोग लेकर प्राप्त करेगी ।

विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषंग इस कार्य में समिति को सहयोग करेगी ।

श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री प्रिय शंकर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त उक्त कार्य में समिति को सहयोग करेंगे ।

समिति का कार्यकाल सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1520, दिनांक-19.08.2020 के द्वारा संसूचित अवधि के लिए अर्थात् 19.08.2020 से 18.09.2020 तक होगा ।

एतद विषयक पूर्व निर्गत सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1520, दिनांक-19.08.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

रंजीत कुमार,
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**22 जुलाई, 2020**

संख्या-03/नि0सं0-09-13/2018 का० 3484-- श्री देवनीश किन्डो, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-598/03), तत्कालीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लोहरदगा की दिनांक 01.05.2018 से 25.11.2018 तक (कुल 209 दिन) की अवधि के लिए निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- | | | | |
|------|---|---|--|
| (i) | <u>दि0 01.05.2018 से 27.10.2018 तक</u>
(कुल 180 दिन) | - | रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत । |
| (ii) | <u>दि0 28.10.2018 से 25.11.2018 तक</u>
(कुल 29 दिन) | - | उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
17/07/2020

संख्या-4/नि0 स0-12-304/2014-6935 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	GUNJAN KUMARI SINHA- (110003181764)	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT(RURAL DEVELOPMENT)	State Institute of Rural Development, RANCHI Lecturer	11/02/2013	02/07/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

आदेश

14 सितम्बर, 2020

संख्या-09/आरोप-गुमला-79/2017- 2395(09)/रा0,-- उपायुक्त, गुमला द्वारा दिनांक-01.06.2017 को जिला अवर निबंधक कार्यालय, गुमला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं जिला अवर निबंधक कार्यालय में भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए श्री मनोज किशोर रूखैयार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, गुमला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा उपायुक्त, गुमला द्वारा अपने पत्रांक-100(I), दिनांक-02.06.2017 द्वारा की गयी।

2. उक्त के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3666/रा0, दिनांक-14.07.2017 द्वारा श्री रूखैयार से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके आलोक में इन्होंने अपने कार्यालय पत्रांक-9, दिनांक-21.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

3. श्री रूखैयार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4849/रा0, दिनांक-25.09.2017 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य माँगा गया जो उनके कार्यालय पत्रांक-299 (II), दिनांक-04.03.2020 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ।

4. इसी क्रम में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-303(II), दिनांक-05.03.2020 द्वारा श्री रूखैयार के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्राप्त हुआ।

5. श्री रूखैयार के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला की अनुशंसा, श्री रूखैयार के स्पष्टीकरण, इस पर उपायुक्त, गुमला के मंतव्य एवं गठित आरोप-पत्र के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री रूखैयार को भविष्य में ससमय कार्यालय आने, वरीय पदाधिकारियों को पहचानने, उचित सम्मान देने और उपस्थित रहने हेतु चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव

**मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)**

अधिसूचना
03 सितम्बर, 2020

संख्या- मं0मं0स0-05/वि0स0 सत्र -62/2020-1088 -- माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, का दिनांक 03.09.2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

”भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करती हूँ।“

ह0/-

द्रौपदी मुर्मू,
राज्यपाल, झारखण्ड